न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 13 / 2022

प्रविष्टि दिनांक 02.09.2022

जरिये सूरजभान सिंह प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थित:–

1 पेशकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– अप्रार्थी स्वयं

निर्णय

दिनांक 20.10.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईंधन के रूप मे अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने मे प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर उमेश यादव पुत्र गोविन्द राम निवासी वार्ड नम्बर 17 कि दिनांक 06.08.2022 को तहसीलदार देवली बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, देवली के साथ फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली मालिक फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईंधन के रूप मे अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर [illegible] लेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की [illegible] निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	006132	(BPCL)	14.2	15.08	15.07	0.1
02	098272	(BPCL)	14.2	15.06	16.02	0.6
						0.7

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का प्रयोग किया जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है। उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 06.08.2022 को तहसीलदार देवली बहमराह प्रवर्तन निरीक्षक, देवली के साथ फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर उमेश यादव मालिक फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण एवं अभिग्रहण की कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं गैस भट्टी सहित मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।

इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस [illegible] रूप से व्यवसाय स्थल पर खाद्य सामग्री बनाने में ईधन के रूप का [illegible] जा रहा था जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के [illegible] है,उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 0.7Kg [illegible] एवं गैस भट्टी जब्त किया गया तथा जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्ड[illegible] सुरक्षा की दृष्टि

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

से सुरक्षित रखने हेतु मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा निवासी अम्बापुरा कॉलोनी दौलता मोड तहसील देवली की सुपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द--बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 0.7Kgएलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व गैस भट्‌टी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थी के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 6.08.2022 के अनुसार फर्म गोविन्द स्वीट तहसील के सामने मेन रोड देवली शहर तहसील देवली जिला टोंक के व्यवसायी परिसर पर आकस्मिक जॉच /निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से व्यवसायिक कार्यो में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय रबर पाईप,रेगुलेटर व गैस की भट्टी सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र. स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
01	006132	(BPCL)	14.2	15.08	15.07	0.1
02	098272	(BPCL)	14.2	15.06	16.02	0.6
						0.7

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 2 घरेलू गै[illegible]ों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/ज[illegible]र्मा के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी विजय शकंर[illegible] शर्मा व उमेश[illegible]व के हस्ताक्षर है। मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि महेन्द्र शर्मा को उक्त सामग्री सुपुर्दगी में दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप से खाद्य सामग्री बनाने के कार्यों में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 2 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 0.7 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:55:56 IST
Reason: SelfAttested